कार्यालय जिला परिषद्, गया।

आदेश

15वीं वित्त आयोग मद् अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 की Health Sector Grant में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–34(स्वी0), दिनांक–28.12.2021 एवं आवंटनादेश संख्या–56(आ0), दिनांक–28.12.2021 के द्वारा गया जिलान्तर्गत 03 (तीन) स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण हेतु प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र रू0 55,48,741.82 अर्थात कुल राशि मो0–**1,66,46,225.46 (एक करोड़ छियासठ लाख छियालीस हजार दो सौ पच्चीस रूपया छियालीस पैसा)** जिला परिषद्, गया को आवंटित की गई है। उक्त आवंटन के आलोक में जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया का पत्रांक–260/जि0अ0, गया दिनांक–06.03.2024 के द्वारा प्रखण्ड गुरूआ, इमामगंज एवं नीमचक बथानी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण हेतु योजनाओं का स्थलीय जाँचोपरान्त कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से प्राक्कलन तैयार कराकर जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर योजनाओं का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–9185/पं0रा0, दिनांक–08.10.2024 में दिये गये निदेश यथा **"राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित स्वास्थ्य उप केन्द्र स्थल में बदलाव जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा** तथा **स्वास्थ्य उप केन्द्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये मॉडल प्राक्कलन की राशि रू0 55,48,741.82 (पचपन लाख अड़तालीस हजार सात सौ ईक्तालीस रूपया बेरासी पैसा) जो वर्ष 2021–22 के अनुसूचित दर (S.O.R) पर है, को अद्यतन अनुसूचित दर (S.O.R) पर संशोधित करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति, प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों के अनुसार उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। बढ़ी हुई राशि का व्यय षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद् को उपलब्ध कराये गये अनुदान राशि से की जायेगी।**

15वीं वित्त आयोग मद् अन्तर्गत अनुशंसा के तहत् वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant की राशि से HSC, PHC एवं CHC निर्माण हेतु प्राप्त आवंटन एवं तैयार मॉडल प्राक्कलन में राशि की भिन्नता के संबंध में जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया का पत्रांक–1259/जि0अ0, दिनांक–26.11.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि विषयांकित कार्य योजना विभाग से प्राप्त मानक प्राक्कलन रू0 55,48,741.82 वित्तीय वर्ष 2021–22 की अनुसूचित दर (S.O.R) पर आधारित है। विभागीय पत्रांक–9185/पं0रा0, दिनांक–08.10.2024 के द्वारा निदेशित किया गया है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये मानक प्राक्कलन जो वर्ष 2021–22 के अनुसूचित दर पर है, को अद्यतन अनुसूचित दर पर संशोधित किया जाये। जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल प्राक्कलन में दर्ज मापदण्डों व विशिष्टियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुसूचित दर (S.O.R) के आधार पर प्राक्कलन पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि मो0–67,80,400.00 रूपया है।

अंचलाधिकारी, गुरूआ का पत्रांक–857, दिनांक–27.07.2024 के द्वारा गुरूआ अंचल अन्तर्गत मौजा–मायापुर, थाना नं0–593, खाता संख्या–37, खेसरा संख्या–03, रकवा–02.98 डी0 वांछित रकवा–0.07 डी0, अंचलाधिकारी, इमामगंज का पत्रांक–1007, दिनांक–28.09.2024 के द्वारा इमामगंज अंचल अन्तर्गत मौजा–इमनाबाद, थाना नं0–227, खाता संख्या–192, खेसरा संख्या–58, रकवा–0.20 डी0 तथा अंचलाधिकारी, नीमचक बथानी का पत्रांक–930, दिनांक–23.09.2024 के द्वारा नीमचक बथानी अंचल अन्तर्गत मौजा–सिंघा, थाना नं0–219, खाता संख्या–348, खेसरा संख्या–2153, रकवा–0.21 डी0 भूमि पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।

उक्त विभागीय निदेश के आलोक में सिविल सर्जन–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, गया का पत्रांक–1457, दिनांक–15.11.2024 के द्वारा 15वीं वित्त आयोग मद् अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 की अनुशंसा के तहत् 03 (तीन) स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन यथा **प्रखण्ड गुरूआ के ग्राम पंचायत दुब्बा के मौजा मायापुर, प्रखण्ड इमामगंज के ग्राम पंचायत विराज के मौजा इमनाबाद एवं प्रखण्ड नीमचक बथानी के ग्राम पंचायत मनियारा के मौजा सिंघा** में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने हेतु सहमति प्राप्त है। विभागीय पत्रांक–9185/पं0रा0, दिनांक–08.10.2024 में दिये गये निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय, गया द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण हेतु स्थल में बदलाव की स्वीकृति संचिका संख्या–826 D-IV के पृष्ठ 25/टि0 पर प्रदान की गई है। विदित हो कि दिनांक–03.08.2024 को सम्पन्न जिला परिषद्, गया की सामान्य बैठक की कंडिका 13.14 में 15वीं वित्त आयोग मद् अन्तर्गत

D:Prasant LETTERBM74

...य वर्ष 2021–22 की अनुशंसा के तहत् 03 (तीन) स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या–7219 / पं0रा0, दिनांक–07.08.2024 के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को एक करोड़ रूपये तक प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्रदत्त है। तदनुसार जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया द्वारा 15वीं वित्त आयोग मद् अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant में प्राप्त राशि के आलोक में गया जिलान्तर्गत अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति के समतुल्य राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्य पूर्णता की अवधि
1	गुरूआ	गुरूआ में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण।	67,80,400.00	67,80,400.00	09 माह
2	इमामगंज	इमामगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण।	67,80,400.00	67,80,400.00	09 माह
3	नीमचक बथानी	नीमचक बथानी में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण।	67,80,400.00	67,80,400.00	09 माह

योजना में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रू0 67,80,400.00 में से 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Health Sector Grant मद में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–34(स्वी0), दिनांक–28.12.2021 एवं आवंटनादेश संख्या–56(आ0), दिनांक–28.12.2021 से प्राप्त राशि रू0 55,48,741.82 तथा शेष बढ़ी हुई राशि मो0–12,31,658.18 रूपया का व्यय विभागीय पत्रांक–9185 / पं0रा0, दिनांक–08.10.2024 में दिये गये निदेश के आलोक षष्टम् राज्य वित्त आयोग की अनुदान मद् में प्राप्त राशि से किया जाएगा।

प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों के तहत् प्रदान की जाती है :–

1. जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया को निदेश दिया जाता है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में योजना का कार्य किया जाएगा।
2. जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया को निदेश दिया जाता है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10042 / पं0रा0, दिनांक–19.10.2022 एवं आदेश पत्रांक–87, दिनांक–25.03.2022 सह पठित ज्ञापांक–3441 / पं0रा0, दिनांक–25.03.2023 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कार्य किया जाएगा।
3. पंचायती राज विभाग द्वारा समय–समय पर दिया गया अनुदेश निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।
4. जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन सभी नियमों एवं शर्त्तों के अनुसार ई–टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।
5. जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया द्वारा प्राक्कलन में Non Schedule Items का अलग से स्थानीय बाजार दर पर कोटेशन प्राप्त कर संबंधित अधीक्षण अभियंता / विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने / रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी / सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। साथ ही सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. सक्षम पदाधिकारी के दर अनुमोदन एवं कार्य आवंटन के एक सप्ताह के अन्दर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका–23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
8. योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण समय–समय पर करते हुए इसकी भौतिक स्थिति की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को देते रहेंगे। योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी जिला अभियंता, गया एवं संबंधित संवेदक की होगी।
9. योजना अभिलेख का संधारण नियमानुसार करने, कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के लिये कार्यकारी एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। योजना का कार्य स्थानीय मजदूरों द्वारा किया जाएगा एवं निर्धारित दर का भुगतान किया जाएगा।

D:Prasant LETTERBM75

लिपिक

संबंधित योजना का कार्यान्वयन यदि उपरोक्त अंकित निदेश के आलोक में नहीं किया जाता है, अथवा कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित कार्यकारी एजेन्सी इस हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया को निदेश दिया जाता है कि 15वीं वित्त आयोग की उपरोक्त स्वीकृति योजनाओं को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे तथा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का अनुपालन करेंगे।

12. योजना के गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। अतः समर्पित प्राक्कलन में अंकित तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप ही योजना का कार्य करायेंगे।

13. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ के पूर्व या साथ में योजना स्थल पर योजना के विवरण से संबंधित सूचना पट्ट आवश्यक रूप से लगायेंगे।

14. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व एवं निर्माण के मध्य तथा योजना पूर्ण होने के उपरान्त सभी स्तरों की Photography/Videography निश्चित रूप से कराया जाय एवं तीनों स्तरों के Photographs/Video की एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में अनिवार्य रूप से रखेंगे तथा अधियाचना के साथ अभिप्रमाणित तीन फोटोग्राफ संलग्न करेंगे।

15. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यदि किसी भी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो इसे प्राप्त करने के उपरान्त ही वास्तविक रूप से कार्य प्रारम्भ करेंगे।

16. निर्धारित समय सीमा के अन्दर निविदित संवेदक से योजना को पूर्ण कराकर सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर अभिलेख बन्द करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय, जिला परिषद्, गया को योजना पूर्ण होने के एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

17. निर्धारित अवधि में यदि कार्य पूर्ण नहीं होता है तो समय वृद्धि के एवज में दण्ड स्वरूप सरकार द्वारा निर्धारित दर से राशि की कटौती कर ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

18. योजना का क्रियान्वयन संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त सरकारी भूमि पर ही किया जायेगा किसी भी परिस्थिति में रैयती भूमि पर योजना का निर्माण नहीं करायेंगे।

19. कार्यकारी एजेन्सी योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागीय आदेश/अनुदेश व नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, गया।

ज्ञापांक–1764/जि0प0, गया दिनांक–02/12/2024 ई0।

प्रतिलिपिः–जिला अभियंता, जिला परिषद्, गया को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण हेतु अविलंब निविदा प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद्, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, गया।

D:Prasant LETTERBM76